राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2995/2025

घनश्याम सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस रेंज, जोधपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.06.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री रविकांत अग्रवाल, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति पुलिस विभाग में हुई थी। दिनांक 16.12.2010 को पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज के कार्यालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार अपीलार्थी को 31.12.2010 को सेवानिवृत्त किया जाना था। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उनके आवेदन पर हुई थी जिस पर विभाग द्वारा विचार किया गया था। (अनुलग्नक–1) राज्य सरकार ने अपीलार्थी का पी.पी.ओ. आदेश जारी किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता 31.12.2010 को सेवानिवृत्त हो गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी नियमित कर्मचारी था जिसने 2009–10 का पूरा वित्तीय वर्ष काम किया और उसकी सेवा में कोई अंतराल नहीं था, इसलिए 01.01.2011 को देय लाभ अपीलार्थी को दिया जाना था क्योंकि कोई भी लाभ जो किसी कर्मचारी को प्रदान किया जाना है, वह तभी देय होता है जब कर्मचारी ने बिना किसी अंतराल के पूरा वित्तीय वर्ष पूरा कर लिया हो या काम किया हो। इसी विवाद पर माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने रिट 15732/2017 बनाम रजिस्ट्रार याचिका संख्या पी. अय्यम्परूमल एवं अन्य दिनांक 15.09.2017 में विचार किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि वित्तीय वर्ष का लाभ उस कर्मचारी को दिया जाना चाहिए जिसने पूरे वित्तीय वर्ष के लिए काम किया हो। सिविल रिट याचिका संख्या 12974/2023 और न्यायाधिकरण ने भी इसी तरह के

मामले में निर्णय लिया है, ऐसी ही एक अपील अपील संख्या 2311/2025 है जिसका शीर्षक जगदीश प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य और अन्य है। (अनुलग्नक–3)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अन्य सेवा लाभों के साथ 01.01.2011 की वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान करने के निर्देश दिए जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य